रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 2
PART III—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 1975/भाद्र 20, 1897

No. 3] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 1975/ 0, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September 1975

No. DII-451(16/5)/73.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. DII-451(16/5)/73, dated the 17th February, 1975, the Central Government hereby declares that the provisions of Section 7(b) and Section 8 (Article II) and Section 18 (Article V) of the Schedule to the said Act shall apply *mutatis mutandis* to the International Committee of the Red Cross and its delegates in India for a period of one year.

H. S. VAHALI,
Director.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

सं० डी० वी०-451 (16/5)/73.—संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना संख्या डी० दो–451 (16/5)/73 दिनांक 17 फरवरी, 1975 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के खंड 7 (बी०) और खंड 8 (अनुच्छेद–दो) तथा खंड 18 (अनुसूची–पांच) की व्यवस्थाएं आवश्यक परिवर्तन सहित भारत में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास कमेटी तथा उसके प्रतिनिधियों पर एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगी।

एच० एम० बहाली,
निर्देशक ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975